



2026:AHC:55432

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3260/2026

सलमान खान

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अनिल कुमार, प्रतीक श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक सलमान खान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 315/2025, धारा 109, 191(3), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, पुलिस स्टेशन मौदाहा, जिला हमीरपुर के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, तीन आरोपियों ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर लक्ष्मी प्रजापति और अतीत नामक व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र और कठोर एवं कुंद वस्तु से चोट पहुंचाई है।

5. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदक ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 11.12.2025 से जेल में बंद है। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन घायल अतीत, के बयान के आधार पर जांच के दौरान उसका नाम सामने आया। हालांकि, एफआईआर या घायल व्यक्तियों के बयान में घायल अतीत, को गोली लगने से घायल करने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, जबकि सह-आरोपी बाबू उर्फ अकिब को घायल व्यक्तियों, लक्ष्मी प्रजापति और अतीत के बयान में घायल अतीत को गोली लगने से घायल करने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल अतीत को छाती के ऊपरी बाएं हिस्से में गोली लगने से चोट आई है, साथ ही बाएं तरफ रक्तस्राव और शरीर में बाहरी वस्तु फंसी हुई है, लेकिन अतीत को गोली लगने से घायल करने का आरोप सह-आरोपी बाबू उर्फ अकिब पर लगाया गया है, जबकि आवेदक को सामान्य और विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। यह तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी निहालुद्दीन, जिसकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43774/2025 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस मामले में समानता की मांग की गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का एक आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसका विवरण आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे के पैरा 2 में दिया गया है। निवेदन यह है कि मुकदमे की सुनवाई में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की अर्जी दी गई है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार, इस मामले में 18.12.2025 को पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

7. उपरोक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन घायल अतीत के बयान के आधार पर जांच के दौरान उसका नाम सामने आया, लेकिन एफआईआर या घायल व्यक्तियों के बयान में घायल अतीत को गोली लगने से संबंधित आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, जबकि सह-आरोपी बाबू उर्फ अकीब को घायल व्यक्तियों, अर्थात् लक्ष्मी प्रजापति और अतीत के बयान में घायल अतीत को गोली लगने से संबंधित विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल अतीत को बाएं ऊपरी सीने पर गोली लगने से चोट आई है, साथ ही बाएं तरफ हेमोथोरेक्स और बाहरी वस्तु भी मौजूद है, लेकिन घायल अतीत को गोली लगने से संबंधित भूमिका सह-आरोपी बाबू उर्फ अकीब को सौंपी गई है, जबकि आवेदक को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। इसी तरह की भूमिका निभाने वाले सह-आरोपी निहालुद्दीन को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और 18.12.2025 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए डराने-धमकाने या मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव डालना; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677 मामले में पैराग्राफ संख्या 53, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार।
- (iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आरए

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”